तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज न्यायालय जिला न्यायाधीश, जयपुर महानगर–प्रथम दीवानी (प्रोबेट) वाद सं. 224 / 2024 (3752 / 2018) श्रीमती नीरजा भारद्वाज बनाम सर्व साधारण व अन्य

न होकर वसीयत के आधार पर नीरजा का उक्त वाद में पक्षकार नहीं होना भी प्रकट किया गया है।

इस प्रकरण में दोनों वादिनी व प्रतिवादी क्रमशः नीरजा व मनीषा द्वारा अपने–अपने पक्ष में मोहन लाल की वसीयत को आधार बनाते हुए स्वयं को उत्तराधिकारी होना कथन किया है। दोनों पक्षों को स्वतंत्र रूप से मोहन लाल शर्मा को उनके पक्ष में की गई वसीयत को प्रमाणित/खण्डित किया जाना है। किसी अन्य वाद में यदि वसीयत के आधार पर नीरजा को पक्षकार बनाये जाने का आवेदन भी दिया गया है, तो भी संबंधित उक्त न्यायालय द्वारा नीरजा के पक्ष में निष्पादित वसीयत के संबंध में किसी प्रकार का कोई अभिमत नहीं दिया गया है और तथ्यात्मक स्थिति के अनुसार उक्त आवेदन निरस्त भी किया जा चुका है। अतः प्रहलाद के द्वारा प्रस्तुत आवेदन के आधार पर वसीयत का निष्पादन प्रमाणित या खण्डित माने जाने के संबंध में उक्त दस्तावेजों की कोई सुसंगतता इस हस्तगत प्रोबेट प्रकरण में नहीं रही है। इन दस्तावेजों को यदि रिकॉर्ड पर लिया जाता है, तो असंगत दस्तावेजों से अनावश्यक रूप से विसंगतियां उत्पन्न होकर विचारण भी विस्तारित होगा। अतः आवेदन के माध्यम से प्रस्तुत दस्तावेज प्रोबेट प्रमाण पत्र संबंधी अनुतोष हेतु सुसंगत नहीं होने से आवेदन निरस्त किया जाता है।

आगामी तारीख पर वादिनी नीरजा भारद्वाज जिसका शपथ पत्र दिया जा चुका है, को प्रतिपरीक्षा हेतु उपस्थित रखा जावे। पत्रावली साक्ष्य वादी हेतु दिनांक 19.11.2025 को पेश हो।

(हस्ताक्षर)

(नंदिनी व्यास)
जिला न्यायाधीश, जयपुर महानगर–प्रथम

19.11.2025 — वकील उभयपक्ष उपस्थित। अप्रार्थी संख्या 2 के जरिये अधिवक्ता एक प्रा० पत्र O.14 R.5 CPC का पेश किया। नकल वकील वादी/प्रार्थी को दिलाई गई। जवाब हेतु अवसर चाहा।

पत्रावली वास्ते जवाब प्रा० O.14 R.5 CPC हेतु दिनांक 25.11.2025 को पेश हो।

(हस्ताक्षर)

जिला एवं सेशन न्यायाधीश
जयपुर महानगर-प्रथम